lished Welfare Funds to address concerns in areas like health, housing, social security, educational and recreational facilities etc.

To improve the working conditions of construction workers and to provide minimum social security for them, the following two laws concerning construction workers have recently been enacted: (i) The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.

(ii) The Building and other Construction Workers (Welfare Cess) Act, 1996.

गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

1876. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ला** :
श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अंत तक गुजरात में जिलेवार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के संबंध में उपलब्धि क्या रही है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमार) : (क) सातवीं योजना के अंत में बेरोजगारी के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण नही किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1987-88 एवं 1993-94 के दौरान गुजरात में बेरोजगारी की दर क्रमशः 2.5% तथा 1.89% थी। जिला-वार सूचना उपलब्ध नही है।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पंचवर्षीय सर्वेक्षणों के अनुसार गुजरात में वर्ष 1987-88 के दौरान जो रोजगार 14.7 मिलियन था वर्ष 1993-94 के दौरान बढ़कर 16.8 मिलियन हो गया।

(ग) और (घ) नौवीं योजना का परिकल्पित दृष्टिकोण पर्याप्त उत्पादक रोजगार के सृजन तथा गरीबी के उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषीय तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना है। बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर की प्रकृति वाले क्षेत्रों में श्रम गहन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा तकनीकों पर सकेन्द्रण से स्वतः ही विकासात्मक प्रक्रिया में उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा। नौवीं योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना का कार्यान्वयन भी किया जाएगा।

असंगठित श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिकस्थिति

1787. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नियमित एवं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में असंगठित और अनियमित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति दयनीय है;

(ख) यदि नही, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने असंगठित और अनियमित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित और नियमित क्षेत्र के समान वेतन व कार्य संबंधी अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम0पी0 वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) संगठित क्षेत्र में कर्मकारों की आर्थिक और सामाजिक दशा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की अपेक्षा सामान्यतया बेहतर है। अधिकांश श्रम कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों पर लागू होते है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के हिसाब से सामाजिक विधान का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसके अतिरिक्त असंगठित कर्मकारों की कतिपय श्रेणियों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, मकान, सामाजिक सुरक्षा, शैक्षणिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं आदि जैसे क्षेत्रों में आने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की है।

निर्माण कर्मकारों की कार्य दशाओं को सुधारने और उन्हें न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निर्माण कर्मकारों से संबंधित निम्नलिखित दो कानून हाल ही में अधिनियमित किए गए है।

(i) भवन और अन्य निर्माण कर्मकर (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996